तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	08/01/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 20/01/25 को पेश हो। हस्ताक्षर/रीडर
20/01/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। तामील अप्रार्थीगण जरिये Rog. Ad बोटिस। सकारण की जाकर दिनांक 07/02/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
	7/2/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 19/2/25 को पेश हो। हस्ताक्षर/रीडर
	19/02/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थी संख्या 2,3,4 बावजूद रजिस्टर्ड AD तामील उपस्थित नही आये। ना ही उनका कोई विधिक प्रतिनिधि उप० आया। अतः प्रतिवादी सं। अप्रार्थी सं. 2,3,4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पैरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार बांदीकुई से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली की गयी। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण वकील बहस सुनी। प्रार्थना पत्र, पत्रावली व तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली कम्प्युमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 19/2/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण संख्या 109/2024
प्रकरण दायर दिनांक 08.08.2024
प्रकरण निर्णय दिनांक 19.02.2025

बनवान

1.राजाराम पुत्र परत्या
2.मूली देवी पत्नी राजाराम
समस्त जाति गुर्जर निवासी कांवर का बास तहसील बांदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा
2. कमला पत्नि रामलाल जाति मीना निवासी बडियाल कलां तहसील बांदीकुई जिला दौसा
3. चतरू प्रसाद पुत्र श्री नारायण जाति कोली निवासी सालोली तहसील रैणी जिला अलवर
4. रामावतार पुत्र खेमचंद जाति मीना निवासी बावडी का बास नीमला तहसील राजगढ जिला अलवर

" प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, लैण्ड रेवन्यू एक्ट "

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128, लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय से प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की भूमि काश्त खाता संख्या नया 24 पुराना 24 के खसरा नं. 71 रकबा 0.19 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.19 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 65 पुराना 63 के खसरा नं. 68/371 रकबा 0.19 हैक्टे., खसरा नं. 70 रकबा 1.70 हैक्टे. कुल किता 02 कुल रकबा 1.26 हैक्टे. वाके ग्राम उदेरवाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है जिसके प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। उक्त वर्णित भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है तथा काबिज होकर काश्त करते चला आ रहे है। प्रार्थीगण के पडौसी खातेदारों के मध्य सीमा विवाद को लेकर झगडे होते रहते है तथा प्रार्थीगण की खाम डौल धीरे धीरे बिस्मार हो रही है। जिसकी बाबत सीमाज्ञान कराने हेतु तहसीलदार बसवा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार बसवा के आदेशानुसार दिनांक 13.06.2024 को प्रार्थीगण की भूमि का मौका पर्चा बनाया। प्रार्थीगण ने अपनी भूमि काश्त खसरा नं. 71, 68/371, 70 वाके ग्राम उदेरवाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है का दिनांक 13.06.2024 को सीमाज्ञान करवाया तथा सीमाज्ञान के बाद प्रार्थीगण के पडौसी खातेदारान ने सीमा को सही होना बताया किन्तु प्रार्थीगण के पडौसी खातेदार जबरन अपनी भूमि को प्रार्थीगण की कब्जे की भूमि में होना बताना चालू कर दिया। जिसकी वजह से दोनो पक्षों में सीमा विवाद हो गया। जिसकी वजह से प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना जरूरी है, जिससे भविष्य में सीमा विवाद नहीं हो सके। दिनांक 20.06.2024 को प्रार्थीगण

aly६–

अपनी भूमि पर थे कि पडौसी खातेदार एकराय होकर प्रार्थीगण के खेत पर आये और प्रार्थीगण को धमकी दी कि पटवारी ने सीमाज्ञान गलत कर दिया है। हमारी भूमि तुम्हारे कब्जे में दबी हुई है इसलिये हम तुम्हारी भूमि पर जबरन कब्जा करेगें। प्रार्थीगण ने कहा कि हम हमारी भूमि की पत्थरगढी करवा लेते है, अगर हमारी भूमि में तुम्हारी भूमि निकलती है, तो छोड देगें तो पडौसी खातेदारान ने कहा कि हम पत्थरगढी पर विश्वास नहीं करते है। हमारी इच्छा होगी, वहाँ होकर भूमि लेगें। हम लाठी व पैसे वाले है। इस वजह से सीमा विवाद उत्पन्न हो गया इसलिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु खाम डोल कर सकें। प्रार्थीगण व भूमि मुतदाविया श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से श्रीमान को प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। दिनांक 13.06.2024 को प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान करने व दिनांक 20.06.2024 को प्रार्थीगण के पडौसी खातेदार प्रार्थीगण की भूमि में जबरन घुसने तथा कब्जा करने की धमकी देने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पत्र अंदर मियाद व नियत कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 24 पुराना 24 के खसरा नं. 71 रकबा 0.19 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.19 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 65 पुराना 63 के खसरा नं. 68/371 रकबा 0.19 हैक्टे., खसरा नं. 70 रकबा 1.07 हैक्टे. कुल किता 02 कुल रकबा 1.26 हैक्टे. वाके ग्राम उदेरवाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है का तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा को पत्थरगढी मुताबिक नक्शा मौका करवाये जाने बाबत तहसीलदार बांदीकुई को आदेश प्रदान फरमायें जावें।

प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस की गयी। अप्रार्थी संख्या 02, 03, 04 बावजूद रजिस्टर्ड ए.डी. तामील उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 02, 03, 04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण में बहस प्रार्थीगण वकील सुनी गयी। प्रार्थीगण वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबनदी संवत 2073–76 ग्राम उदेरवाडा खाता सं. नया 24 पुराना 24 एवं राजस्व जमाबनदी संवत 2073–76 ग्राम उदेरवाडा खाता सं. नया 65 पुराना 63, मौका पर्चा सीमाज्ञान रिपोर्ट वाके ग्राम उदेरवाडा दिनांकः 13.06.2024 एवं तहसीलदार बांदीकुई एवं नायब तहसीलदार बडियाल कलॉ की रिपोर्ट दिनांकः 19.02.2025 का अवलोकन किया गया। दस्तावेजात राजस्व जमाबनदी संवत 2073–76 ग्राम उदेरवाडा खाता सं. नया 24 पुराना 24 में प्रार्थी संख्या एक राजाराम पुत्र परत्या एवं राजस्व जमाबनदी संवत 2073–76 ग्राम उदेरवाडा खाता सं. नया 65 पुराना 63 प्रार्थी संख्या 02 मूली देवी पत्नि राजाराम रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। मौका पर्चा सीमाज्ञान रिपोर्ट वाके ग्राम उदेरवाडा दिनांकः 13.06.2024 के अनुसार वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी विधिवत करने में बाधा का कोई कारण नहीं है। भूमि सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी निर्धारित कराने का प्रार्थी को एल.आर एक्ट. प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारात प्राप्त है। अतः प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करने एवं प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबन्दी, मौका पर्चा सीमाज्ञान रिपोर्ट वाके ग्राम उदेरवाडा दिनांकः 13.06.2024 व तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट दिनांक 19.02.2025 के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट.स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार बांदीकुई प्रार्थीगण की दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 24 पुराना 24 के खसरा नं. 71 रकबा 0.19 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.19 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 65 पुराना 63 के खसरा नं. 68/371 रकबा 0.19 हैक्टे., खसरा नं. 70 रकबा 1.07 हैक्टे. कुल किता 02 कुल रकबा 1.26 हैक्टे. वाके ग्राम उदेरवाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा मुताबिक मौका पर्चा सीमाज्ञान रिपोर्ट वाके ग्राम उदेरवाडा दिनांकः 13.06.2024 मय राजस्व टीम भू. अ. निरीक्षक, पटवारी की गठित कर पत्थरगढी करावें। पत्थरगढी के दौरान मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी बॉदीकुई से प्राप्त करें। थानाधिकारी बॉदीकुई वांछित पुलिस जाप्ता तहसीलदार बांदीकुई को उपलब्ध करावें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)